उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

संख्या: 3/2015/ई0-8-774/दस-2015-53/2005

लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य को निक्षेप कार्य के रूप में करने हेतु यदि कोई निर्माण एजेन्सी अपने आप को भवन निर्माण कार्य हेतु राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में चयन कराना चाहती है, तो इसके लिए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-667/दस-06-89/2004, दिनांक 06 जून, 2006 में तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित सचिव स्तर के अधिकारी, अध्यक्ष के रूप में तथा महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, मुख्य अभियन्ता, भवन, लोक निर्माण विभाग, चीफ आर्कीटेक्ट, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, सदस्य के रूप में नामित हैं।

2. वर्तमान में उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 को राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में नवीनीकरण करने तथा उपलब्ध अनुभव, तकनीकी स्टाफ एवं इन्फ्राटक्चर के दृष्टिगत मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू0 5 करोड़ तथा गैर मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू0 2.50 करोड़ तक की लागत सीमा में निर्माण कार्य करने के लिये राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किये जाने पर विचार किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-ई-8-667/दस-06-89/2004, दिनांक 06 जून, 2006 द्वारा राजकीय निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति में केवल उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 के प्रकरण में विचार किये जाने हेतु निम्न प्रकार तकनीकी समिति का गठन किया जाता है :-

1.	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित सचिव स्तर के अधिकारी	अध्यक्ष
2.	निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
3.	मुख्य अभियन्ता, भवन, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4.	चीफ आर्कीटेक्ट, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5.	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई	सदस्य

3. इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में उक्त शासनादेश दिनांक 06 जून, 2006 की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

आलोक रंजन

मुख्य सचिव

संख्या: 3/2015/ई0-8-774 (1) /दस-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 शासन।
5. निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ
6. मुख्य अभियन्ता, (भवन) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
7. चीफ आर्कीटेक्ट, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, उ0प्र0 लखनऊ ।
9. उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ ।

आज्ञा से

मुकेश मित्तल

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in